



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.03.2024

- अपराध नियंत्रण व अवैध शस्त्र बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों की धर-पकड जारी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस की कार्यवाही से 02 नफर अभियुक्तगण को मय 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण व अवैध शस्त्र बरामदगी की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1. अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ पप्पू बाथम पुत्र रामस्वरूप बाथम निवासी ग्राम उसरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष को कल दिनांक 21.03.2024 को समय 18.00 बजे इटैली झील के पास चौकी क्षेत्र कर्हिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। व 2. अभियुक्त श्यामसिंह उर्फ बडे पुत्र स्व0 कल्लू निवासी ग्राम तिश्ती थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष को आज दिनांक 22.02.2024 को समय 00.20 बजे मुख्य मार्ग ककवन से रसूलाबाद थाना जमीन प्रस्तावित ग्राम तिश्ती के सामने थाना रसूलाबाद कानपुर देहात से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. मनोज कुमार उर्फ पप्पू बाथम पुत्र रामस्वरूप बाथम निवासी ग्राम उसरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष।
2. श्याम सिंह उर्फ बडे पुत्र स्व0 कल्लू निवासी ग्राम तिश्ती थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष।

अभियुक्त मनोज कुमार का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त श्याम सिंह का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 331/2021 धारा 323/325/452/504/506 भा0द0वि0 थाना रसूलाबाद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 191/2011 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रसूलूबाद जनपद कानपुर देहात ।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त – मनोज कुमार से बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
अभियुक्त श्याम सिंह से बरामदगी- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा चौकी प्रभारी कहिन्जरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह चौकी प्रभारी तिश्ती थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. हे0का0 555 राजेश सिंह थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. हे0का0 394 अखण्ड प्रताप सिंह थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
5. का0 978 शैलेन्द्र थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
6. का0 191 केशव यादव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।